



**CHIEF PROCTOR OFFICE**

**Curriculum Vitae of Chief Proctor**

Name : Dr. V. P. SINGH  
Designation : Professor in Plant Science & Chief Proctor  
Contact Numbers : (Office) 0581-2521416  
(Residence) 0581-2520186  
Mobile - 98373-71388  
E-mail [singhvp03@rediffmail.com](mailto:singhvp03@rediffmail.com)



**Administrative Experiences:**

1. Head, Department of Plant Science  
(Feb 1985 - April, 1987; April 2001 - July 2008)
2. Dean of the Faculty  
(April 1995 - Dec. 1995 & Nov. 1998 - April 2001)
3. Secretary, University Sports Council  
(August 1987-Sept.1989)
4. Dean, Students Welfare  
(July 1989- August 1993)
5. Co-Coordinator, Dental/Medical Colleges  
(July 1999- Dec 2004)
6. Chief Coordinator Entrance Test Cell  
(April 2001-Continuing)
7. Coordinator, U.G.C. Cell  
(July 2008-Continuing)
8. Chief Proctor  
(Jan. 1994-Feb.1998 and Dec. 1999- Continuing)



## महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली

### रैगिंग रोकने तथा विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा उठाये गये कदम

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत विभिन्न दिशा निर्देशों तथा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर रैगिंग रोकने तथा अनुशासन बनाये रखने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं –

1. विश्वविद्यालय के समस्त विभागों में, छात्रावासों में, प्रशासनिक भवन, कैंटीन तथा विश्वविद्यालय परिसर में अन्य जगहों पर रैगिंग रोकने, धूप्रपान निषेध तथा नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक सम्बन्धी जानकारी तथा विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों द्वारा लाइसेन्स युक्त अग्न्यास्त्र सहित समस्त प्रकार के हथियार रखने पर पूर्णतया प्रतिबन्धित के सम्बन्ध में बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाये गये तथा साथ ही नये छात्रों को अपनी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में किससे सम्पर्क स्थापित करना है, की जानकारी से युक्त पोस्टर्स भी लगवाये गये। (संलग्नक – 1 व 2)
2. प्रॉक्टरियल बोर्ड के सदस्य, चीफ प्राक्टर, चीफ वार्डन, डी.एस.डब्लू, तथा समस्त वार्डन्स के साथ दिन एवं रात्रि में विभिन्न छात्रावासों में घूम-घूम कर चेकिंग करते हैं और कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही की जाती है।
3. प्रत्येक फ़ैकल्टी में एक प्रॉक्टर इंचार्ज है जो उस फ़ैकल्टी की कानून व्यवस्था देखते हैं साथ ही आई.ई.टी. में जहाँ छात्र संख्या अधिक है, वहाँ पर आठ प्रॉक्टर्स बनाये गये हैं। वार्डन्स के साथ भी प्रॉक्टर्स की ड्यूटी लगायी गयी है जो छात्रावासों में कानून व्यवस्था देखते हैं। (संलग्नक – 3)
4. चीफ प्रॉक्टर, चीफ वार्डन, डी.एस. डब्लू समय-समय पर ओपेन कोर्ट लगाते हैं, जिसमें छात्र अपनी शिकायत कर सकते और उसका निराकरण विभिन्न स्तरों पर किया जाता है।
5. प्रत्येक छात्रावास में ताला लगी शिकायत पेटिका लगायी गयी है, जिसमें छात्र अपनी शिकायत लिखकर डाल सकते हैं।
6. नये छात्रों के लिये किसी भी प्रकार की ड्रेस कोड इत्यादि को प्रतिबन्धित कर दिया गया है, ताकि नये छात्रों की कोई विशिष्ट पहचान न हो।

## ANTI RAGGING HELP LINE 0581-2520801

7. रैगिंग के दोषी पाये जाने वाले छात्रों पर दिये जाने वाले दण्डों को भी सार्वजनिक रूप से पोस्टर्स के द्वारा तथा पैम्पलेट के द्वारा छात्रों को सूचित किया गया है। (संलग्नक -4)
8. प्रथम वर्ष के नवीन छात्रों को एक अलग से छात्रावास में रखा जाता है। जिसकी चाहर दीवारी बहुत ऊँची है तथा उसके अन्दर एक ही गेट है जिस पर दिन रात सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इस छात्रावास के गेट पर रात 9:00 बजे ताला डाल दिया जाता है तत्पश्चात आवागमन प्रतिबन्धित हो जाता है। शुरू के 5 महीनों में सीनियर छात्रों का इस छात्रावास में प्रवेश वर्जित होता है।
9. विश्वविद्यालय के प्रत्येक भवन में कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विभिन्न प्रतिबन्धित को लागू कराने के लिए प्रत्येक भवन पर एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गयी है जिनका नाम मोबाइल नम्बर के साथ भवन के मुख्य द्वार पर लिखवा दिया गया है ताकि छात्र/अभिभावक आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकें। (संलग्नक -5)
10. विभागों में अनुशासन बनाये रखना, रैगिंग इत्यादि रोकने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग के प्रॉक्टर तथा छात्रावासों में वार्डन की होती है। (संलग्नक -6)
11. विश्वविद्यालय में अनुशासन समिति गठित है जिसमें चीफ प्रॉक्टर, डी.एस.डब्लू तथा सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/प्रॉक्टर (जिस विभाग से सम्बन्धित छात्र का केस हो) किसी भी शिकायत पर अन्तिम निर्णय लेकर कुलपति जी को अनुमोदन हेतु प्रेषित करती है। जिस पर अनुमोदन उपरान्त क्रियावन किया जाता है।

चीफ प्रॉक्टर  
महात्मा ज्योतिबा फुले  
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली



**महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली**

## **चेतावनी**

1. रैगिंग (छात्रों के प्रति उग्र-व्यवहार) एक दण्डनीय अपराध है।
2. धूम्रपान, शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन परिसर में पूर्णतया: प्रतिबन्धित है।
3. परिसर में (लाइसेन्स युक्त अग्न्यास्त्र सहित) किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलना तथा रखना पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

उपरोक्त सभी कृत्य दण्डनीय अपराध हैं। इस प्रकार के किसी भी कृत्यों में शामिल छात्रों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

चीफ प्रॉक्टर



**M.J.P. ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY**

## **WARNING**

1. RAGGING IS A CRIMINAL OFFENCE.
2. SMOKING, USE OF ALCOHOL AND OTHER INTOXICANTS such as NARCOTICS, DRUGS etc. is STRICTLY PROHIBITED.
3. POSSESSION AND CARRYING OF ANY TYPE OF WEAPONS/ARMS INCLUDING LICENSED ARMS IS STRICTLY PROHIBITED ON THE CAMPUS.

ANY VIOLATION OF THE ABOVE IS A PUNISHABLE OFFENCE AND STUDENTS FOUND INVOLVED IN SUCH CRIMINAL ACTS SHALL BE DEALT WITH ACCORDINGLY.

CHIEF PROCTOR



**MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND  
UNIVERSITY, BAREILLY  
NOTICE**

All the University Campus student's are advised to contact the following for the purposes/issues specified below:

Head of the Department	Issues related with Teaching/Research or other Academic Matters of the Department
Dean	Issues related with Teaching/Research or other Academic Matters in the Faculty
D.S.W.	Issues concerning Admissions, Scholarships, Accommodation, Medical Help, Railway Concessions and Mess Arrangements in the Hostels etc
Hon'y Librarian	Working of the Library
Hostel Warden	Matters related with Hostel, Mess arrangements.
J.E. and Asstt. Registrar (Admin.)	Matters related with electricity/water supply/cleanliness etc
Sports' Incharge	Matters pertaining to Sports Activities
Proctor of the Faculty	Complaints regarding Indiscipline

Students are advised to exhaust the channels mentioned above before seeking an appointment with the Vice-Chancellor.

**CHIEF PROCTOR**



**MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY**

Date - 13.07.2009

**NOTICE - 1**

The Proctors are expected to maintain Law and Order, will sign Identity card, will take round in the building during working hours and will check the ragging, Smoking, use of Alcohol and other Intoxicants such as Narcotics, Drugs etc. Possession and Carrying of any type of Weapons/Arms including Licensed Arms and entry of unauthorized Students in the Department/ Faculty mentioned against their names in Session 2009-2010.

**Proctors**

<b>Name</b>	<b>Faculty/Department</b>	<b>Contact No.</b>
1. Prof. B.R. Kukreti	- Faculty of Education	9412604920
2. Dr. A.K. Singh ( Clinical Phy..)	- Faculty of Education & Allied Sciences	9411469146
3. Dr. Ravindra Singh	- CSIT & MCA (IET)	9412148941
4. Dr. Manish Rai	- EC (IET)	9412518363
5. Dr. Sanjay Singh	- EE (IET)	9412566493
6. Shri Yatinder Kumar	- EI (IET)	9412510763
7. Shri M.S. Karuna	- CE (IET)	9359501112
8. Dr. O.P. Upadhyay	- ME (IET)	9411004431
9. Dr. Moh. Saleem Khan	- Basic Sciences (IET)	9412190613
10. Dr. K.K. Maheshwari	- Pharmacy (IET)	9412148058
11. Dr. Raj Kamal	- MBA & Hotel Management	9412192899
12. Dr. N.D. Dwivedi	- History, Economics, Law & Adult Education	9412462354
13. Dr. Sanjay Kr. Garg	- Faculty of Applied Sciences	9412293886
14. Dr. Asha Chaubey	- All Girls Students/ Girls Hostel	9412067014
15. Dr. J.N. Maurya	- New Boys Hostel	9897108929
16. Dr. Vrajesh Tripathi	- Main Hostel	9411091602
17. Dr. A.K. Singh (Appl. Philo.)	- BDA Hostel	9412148788

Kindly notify the students to get prepared their Identity card and it is compulsory to keep it and Proctor/Officer of the University may check it at any time at campus.

Prof. (V.P.Singh)

Chief Proctor

Contact No. 98373-71388

**Copy to :**

1. P.S. to Vice Chancellor for information.
2. Registrar for information.
3. All Proctors for information.
4. All H.O.D. for information.
5. All Hostel Wardens & Chief warden for information.
6. D.S.W.
7. Notice Board for information of the Students.
8. Press.



**महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली**  
**MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY**

## रैगिंग क्या है –

किसी भी नये छात्र का मौखिक शब्दों/लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न/दुर्व्यवहार, उत्पात, अनुशासनहीनता का वातावरण बना कर नये छात्र को कष्ट, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा देने का प्रयास करना, ऐसे कार्यों को करने के लिए कहना जो सामान्य स्थिति में नहीं किये जाते तथा जिनसे नए छात्र के मन में लज्जा, पीड़ा अथवा भय की भावना उत्पन्न हो, वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो किसी शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाये, नए छात्र का किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण अथवा किसी भी प्रकार का यौन शोषण, अश्लील तथा काम-सम्बन्धों के लिए विवश करना, शारीरिक ईशारों, मुद्राओं से बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक द्वारा अथवा खुले आम किसी को अपमानित करना, कोई भी ऐसा कार्य जिससे नये छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े, नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले जाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

## रैगिंग के दोषी छात्रों को निम्नलिखित दण्ड पृथक-पृथक अथवा एक साथ दिये जा सकेंगे :

छात्रवृत्ति रोक दी जायेगी, खेलकूद-प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा, परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा, छात्रावास, मैस एवं संस्थान से निकाल दिया जायेगा, उनके माइग्रेसन प्रमाण-पत्र में यह अंकित कर दिया जायेगा कि उक्त छात्र रैगिंग का दोषी पाया गया है, किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता (यदि दोषी छात्र प्राप्त कर रहा है) तो उसे रोक दिया जायेगा, यदि छात्र समूह रैगिंग करने का दोषी पाया जाता है, तो उपरोक्त दण्डों के अलावा उन पर संस्थान के अधिनियमों, परिनियमों के अन्तर्गत नियत अधिकतम आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा, निलम्बन एवं निष्कासन के अतिरिक्त उन छात्रों का परिसर में प्रवेश अनाधिकृत किया जायेगा एवं तदनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं एफ0आई0आर0 दर्ज की जायेगी।

# ANTI RAGGING HELP LINE 0581-2520801



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली  
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

दिनांक : 14.07.2009

शिकायत अधिकारी : नाम (दूरभाष नं० तथा मोबाईल नं०)

क्र.स.	भवन	नाम	दूरभाष/मोबाईल नं०
1.	महिला छात्रावास (समाज कल्याण)	डा० अनीता त्यागी	9411699755
2.	महिला छात्रावास (मुख्य)	डा० सन्तोष अरोरा	0581-2522811
3.	प्रशासनिक भवन एवं द्वार	डा० दुर्वेन्द्र सिंह	9837843756
4.	सी०ई० (आई०ई०टी०)	डा० एम०एस० करुणा	9359501112
5.	सी०एस०आई०टी० (आई०ई०टी०)	डा० रविन्द्र सिंह	9412148941
6.	ई०सी० (आई०ई०टी०)	डा० यतेन्द्र कुमार	9412510763
7.	ई०आई० (आई०ई०टी०)	डा० मनीष राय	9412518363
8.	एम०ई० (आई०ई०टी०)	डा० ओ०पी० उपाध्याय	9411004431
9.	ह्यूमेनिटीज नेहरू केन्द्र	डा० आशा चौबे	9412067014
10.	एप्लाइड साइंस (आई०ई०टी०) नेहरू केन्द्र	डा० सलीम खान	9412190613
11.	इतिहास, अर्थशास्त्र विधि एवं प्रौढ शिक्षा	डा० एन०डी० द्विवेदी	9412462354
12.	ई०ई० (आई०ई०टी०)	डा० संजय सिंह	9412566493
13.	एम०बी०ए०	डा० राजकमल	9412192899
14.	होटल मैनेजमेन्ट	डा० राजकमल	9412192899
15.	प्लान्ट साइंस एवं एनीमल साइंस विभाग	डा० संजय कुमार गर्ग	9412293886
16.	फैकल्टी ऑफ एजुकेशन	प्रो० बी०आर० कुकरेती	9412604920
17.	बी०फार्मा	डा० के०के० महेश्वरी	9412148058
18.	मुख्य छात्रावास	प्रो० ए०के० जैतली	9412302526
19.	नया छात्र छात्रावास	डा० एस०के० पाण्डेय	9412485450
20.	बी०डी०ए० छात्रावास	डा० श्याम बिहारी लाल	9412287816
21.	स्पोर्ट्स स्टेडियम	प्रो० ए०के० जैतली	9412302526
22.	डी०एस०डब्लू कार्यालय	प्रो० नीलिमा गुप्ता	9412376677
23.	कांसिलिंग सेन्टर	डा० राजकमल	9412192899
24.	केन्द्रीय पुस्तकालय	प्रो० ए०के० सरकार	9412302748

मुख्य नियंता



**महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली**  
**MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY**

Date : 15.07.2009

**Notice - 2**

I have been advised to intimate you that you are requested to maintain Law and order and will check the ragging, Smoking, use of Alcohol and other Intoxicants such as Narcotics, Drugs etc, Possession and carrying of any type of Weapons/Arms including licensed arms and entry of unauthorized students in the building mentioned against your name in session 2009-2010.

<b>Name</b>	<b>Buildings</b>
1. Dr. Santosh Arora	Girls Hostel
2. Dr. Anita Tyagi	Girls Hostel
3. Dr. D. Singh	Administrative Building All Gates etc.
4. Prof. A.K. Sarkar	Central Library
5. Prof. Neelima Gupta	D.S.W. Office
6. Prof. A.K. Jaithly	Sports Stadium & Main Hostel
7. Dr. S.K. Pandey	New Boys Hostel
8. Dr. Shyam Behari Lal	BDA Hostel
9. Dr. Raj kamal	Counselling Centre.
10. Concerned Proctors	Departmental Buildings

Prof. (V.P. SINGH)  
Chief Proctor

Copy to :

1. P.S. to Vice Chancellor for information.
2. Registrar.
3. Notice Board for the information of the students.
4. Press.